न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित–शिव कुमार सिंह, ...(एच 0 जे0 एस 0)

JO CODE– UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–287/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–725/2026

CNR UPLP 0100 1316 2026

अतीक उर्फ अतीकु उम्र 25 वर्ष पुत्र अतीउल्ला निवासी कुकरा थाना मैलानी जिला खीरी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–32/2026
धारा–115(2), 351(3), 109(1),
3(5) बी०एन०एस०
थाना–मैलानी, जिला–लखीमपुर खीरी।

10.03.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अतीक उर्फ अतीकु की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–32/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 351(3), 109(1), 3(5) बी०एन०एस०, थाना–मैलानी, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा मो० तालिव ने दिनांक 13.02.2026 को सम्बन्धित थाने पर तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि उसने भारत मैरिज लन कस्बा कुकरा में गर्म कपड़े की दुकान लगायी थी विपक्षी अयाज पुत्र इरसाद ग्राम जादमपुर थाना खुटार जि० शाहजहांपुर दुकान पर खरीददारी करने आये थे पैसों के लेन देन को लेकर कहा–सुनी करने लगे और विपक्षी व उसके साथी अतीक पुत्र रफीउल्ला, गुलाम मो० पुत्र रफीउल्ला निवासी कुकरा थाना मैलानी जि० खीरी व अन्य अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डण्डों द्वारा काफी मारा पीटा जिसमें उसे व कसीम पुत्र नसीम निवासी कैराना थाना कैराना जि० शामली, अदनान पुत्र नसीम निवासी उपरोक्त, इंतजार पुत्र इबराइल निवासी मडल थाना दौहट जि० बागपत, इशरार पुत्र इसराइल निवासी

पता उपरोक्त को काफी चोटे आयी हैं। हम सभी द्वारा कपड़े की दुकान लगायी थी जिसमें आज दिनांक 13.02.2026 को समय करीब शाम के पौने चार बजे के लगभग उक्त सभी विपक्षीगण ने उनके साथ मार–पीट की है, जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादी की उक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अयाज, अतीक, गुलाम मो०, नाम अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–115(2), 351(3) बी०एन०एस० में पंजीकृत किया गया तथा मामले में धारा 109(1)/3(5) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में रंजिशन व साजिशन पुलिस झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, तथाकथित घटना बनावटी एवं फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी मुकदमा को न तो मारा पीटा है न ही कोई चोटे पहुंचाई है और न ही जान लेवा हमला किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है, जिससे कथित अपराध उसके विरूद्ध बनता हो। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०–32/2026 में धारा–115(2), 351(2) बी०एन०एस० में दर्ज करायी जाती है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्राणघातक हमला किया गया होता तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका उल्लेख होता। प्रार्थी/अभियुक्त सीधा साधा व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है और वह जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रश्नगत मामले की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–115(2), 351(3) बी०एन०एस० में पंजीकृत किया गया था तथा मामले में धारा 109(1)/3(5) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी। तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनानुसार वादी ने भारत मैरिज लन कस्बा कुकरा में गर्म कपड़े की दुकान लगायी थी विपक्षी अयाज दुकान पर खरीददारी करने आये थे पैसों के लेन देन को लेकर कहा–सुनी करने लगे और विपक्षी व उसके साथी अतीक, गुलाम मो० व अन्य अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डण्डों द्वारा काफी मारा पीटा, जिसमें वादी व कसीम, अदनान,

इंतजार, इशरार को काफी चोटे आयी हैं। उन सभी द्वारा कपड़े की दुकान लगायी थी जिसमें दिनांक 13.02.2026 को समय करीब शाम के पौने चार बजे के लगभग उक्त सभी विपक्षीगण ने उनके साथ मार–पीट की है, जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने तथा जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अतीक उर्फ अतीकु द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 75,000/रू०– का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अन्तर्गत आपराधिक अपील सं०– 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभू के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभू के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

दिनांक–10.03.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 16:28:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court